अनुबंध-1.1

(पैरा सं. **1.5** के संदर्भ में)

एफआरबीएम अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत अनिवार्य प्रकटीकरण विवरण

फॉर्म सं.	विवरण	निम्नलिखित के माध्यम से किया गया प्रकटन
डी-1	कर राजस्व उगाहा गया परन्तु वसूल नहीं किया गया	प्राप्ति बजट का अनुबंध-11
डी-2	गैर-कर राजस्व के बकाया	प्राप्ति बजट का अनुबंध-12
डी-3	सरकार द्वारा दी गई गारंटियां	प्राप्ति बजट का अनुबंध-5(iii)
डी-4	परिसम्पत्ति रजिस्टर	प्राप्ति बजट का अनुबंध-5(iv)
डी-5	वार्षिकी परियोजनाओं की देयता	प्राप्ति बजट का अनुबंध-8
डी-6	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	व्यय बजट खंड-1 का अनुबंध-6

अनुबंध-3.1

(ग्राफ 1, 2, 3 तथा 4 के संदर्भ में)

घाटे, जीडीपी तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानें

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	जीडीपी*	वार्षिक वित्तीय विवरण/संघ सरकार के लेखे से प्राप्त					बजट एक नजर में के अनुसार				
		राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय	राजस्व घाटे की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानें	राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों पर व्यय	राजस्व घाटे की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदानें
	1	2	3=2-5	4	5	6=5/2	7	8=7-10	9	10	11
2004-05	32,42,209	78,700	-	1,03,798	-	-	78,338	-	1,25,202	-	-
2005-06	36,93,369	1,09,697	-	1,64,927	-	-	92,299	-	1,46,435	-	-
2006-07	42,94,706	1,32,847	-	1,82,934	-	-	80,222	-	1,42,573	-	-
2007-08	49,87,090	85,435	-	1,64,962	-	-	52,569	-	1,26,912	-	-
2008-09	56,30,063	3,56,377	-	4,34,444	-	-	2,53,539	-	3,36,992	-	-
2009-10	64,77,827	3,52,956	-	4,32,443	-	-	3,38,998	-	4,18,482	-	-
2010-11	77,84,115	2,53,429	-	3,82,642	-	-	2,52,252	-	3,73,591	-	-
2011-12	90,09,722	3,94,918	2,93,687	5,17,881	1,01,231	25.6	3,94,348	2,61,766	5,15,990	1,32,582	33.6
2012-13	1,01,13,281	3,64,582	2,48,872	4,94,514	1,15,710	31.7	3,64,282	2,48,572	4,90,190	1,15,710	31.8
2013-14	1,13,55,073	3,57,303	2,27,465	5,03,230	1,29,838	36.3	3,57,048	2,27,630	5,02,858	1,29,418	36.2
2014-15	1,24,88,205	3,66,228	2,35,468	5,15,948	1,30,760	35.7	3,65,520	2,34,760	5,10,725	1,30,760	35.8

*वि.व. 2014-15 के लिए, सीएसओ द्वारा 8 फरवरी 2016 को जारी जीडीपी (2011-12 को आधार वर्ष के रूप में के साथ नई श्रृंखला) के प्रथम संशोधित अनुमान (आर$_1$) को इस प्रतिवेदन में अपनाया गया है तथा पहले के वर्षों के लिए जीडीपी आंकड़ों की पुरानी श्रृंखला को अपनाया गया है। वि.व. 2014-15 हेतु संघ सरकार के लेखाओं पर सीएजी के 2015 के प्रतिवेदन सं. 50 में, सीएसओ द्वारा 29 मई 2015 को प्रकाशित जीडीपी के प्रावधानिक अनुमानों-₹125,41,208 करोड़ (2011-12 को आधार वर्ष के रूप में के साथ नई श्रृंखलाओं) को राजकोषीय संकेतकों का परिकलन करने हेतु अपनाया गया है।

अनुबंध- 3.2

(संदर्भ पैरा सं. 3.2.5.1)

व्यय का गलत वर्गीकरण जैसा कि सीएजी के 2015 के प्रतिवेदन सं 50 के पैरा 4.6 में प्रतिवेदित है।

क्र.सं.	अनुदान का विवरण	मुख्य शीर्ष	वस्तु शीर्ष जिसमे व्यय गलत प्रकार से दर्ज किया गया था।	राशि (*₹ करोड़ में*)
(क) पैरा सं.4.6.1- पूंजीगत प्रकृति के व्यय का व्यय के राजस्व शीर्ष के अंतर्गत गलत वर्गीकरण				
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	2852	51/52/60	16.14
2.		3401	51/52	11.05
3.	20-रक्षा मंत्रालय	2037	52	78.62
4.		2075	53	6.84
5.	92-अंतरिक्ष विभाग	3402	52	35.24
6.	60-उच्चतर शिक्षा विभाग	2202	53	1.91
7.	62-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2230	52	9.72
8.	106-जल संसाधन मंत्रालय	2701	51/52/53	23.60
9.		2702	51/52/53	59.74
10.		2711	51/52	5.33
कुल (क)				**248.19**
(ख) पैरा सं.4.6.2- राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत शीर्ष के व्यय के अतंर्गत गलत वर्गीकरण				
1.	04-परमाणु ऊर्जा विभाग	4861	27	54.75
2.		5401	27	3.71
3.	96-पर्यटन मंत्रालय	5452	28	1.71
4.	98-अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4801	21	55.54
5.		5052	50	1.05
6.		5452	50	6.23
7.	102- लक्षद्वीप	4810	35	2.00
कुल (ख)				**124.99**
(ग) पैरा सं.4.6.3- राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजगीत शीर्ष के व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकरण				
1.	33- आर्थिक मामले विभाग	5475	42	**365.00**
(घ) पैरा सं.4.6.4- राजस्व प्रकृति के व्यय का पूंजीगत शीर्ष के व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकरण				
1.	11-वाणिज्य विभाग	5453	53	180.00
2.				1.00
3.	33-आर्थिक मामले विभाग	5466	54	67.00
4.	92-अंतरिक्ष विभाग	5252 5402	60	10.44
कुल (ग)				**258.44**
(ङ) पैरा सं.4.6.4 पूंजीगत प्रकृति के व्यय का राजस्व शीर्ष के व्यय के अंतर्गत गलत वर्गीकरण				
1.	92-अंतरिक्ष विभाग	3252 3402	21/50	**274.48**

पूंजीगत व्यय की न्यूनोक्ति (क+ड.)	522.67
पूंजीगत व्यय की अत्युक्ति (ख+ग+घ)	748.43
पूंजीगत व्यय की कुल अत्युक्ति	225.76

अनुबंध-3.3

(संदर्भ पैरा सं. 3.2.5.3)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान संग्रहित लेवी/उपकर के कम अन्तरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	लेवी/उपकर	संग्रहित प्राप्तियां	निधि का संवितरण	कम अन्तरण
1	**सार्वभौमिक सेवा दायित्व (यूएसओ)** निधि का गठन अप्रैल 2002 में किया गया था जिसका उपयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मूल टेलिग्राफ सेवाओं जैसे सार्वजनिक दूरसंचार एवं सूचना सेवाओं तथा ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में घरेलू दूरभाष सेवाओं तक पहूच प्रदान करने के लिए किया जाना था। यूएसओ निधि को पूरा करने के लिए संसाधन एक 'सार्वभौमिक पहुंच उद्ग्रहण' के माध्यम से उठाई गई भारत की समेकित निधि (सीएफआई) को क्रेडिट किए जाते हैं तथा बाद में पूर्णत उल्लिखित उद्देश्यों के प्रति प्रयोग किए जाने के लिए भारत के लोक लेखे में गैर-व्यपगत यूएसओ निधि को अन्तरित किए जाते हैं। (शीर्ष 8235.118)	7,537.88	2,086.98	5,450.90
2	**प्रारम्भिक शिक्षा कोष (पीएसके)** का लोक लेखे में आरक्षित निधि के गैर-ब्याजधारी अनुभाग के अन्तर्गत 2005-06 में सृजन किया गया था। यह निधि सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के लिए व्यय की मांग को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस उद्देश्य के लिए सभी केन्द्रीय करों पर 2 प्रतिशत का प्राथमिक शिक्षा उपकर उद्ग्रहीत किया जाता है। उपकर का संग्रहण शुरू में सीएफआई को क्रेडिट किया जाता है तथा बाद में संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय वित्तपोषित करने के लिए पीएसके को अन्तरित किया जाता है। (शीर्ष 8229.127)	24,219.00	22,323.00	1,896.00
3	**राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा (एनसीईई)** निधि की स्थापना, भारत में उत्पादित कोयले तथा आयातित कोयले पर एक स्वच्छ ऊर्जा उपकर	5,393.46	4,700.00	693.46

क्र.सं	लेवी/उपकर	संग्रहित प्राप्तियां	निधि का संवितरण	कम अन्तरण
	के उद्ग्रहण द्वारा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा अभिनव परियोजनाओं के निधिकरण हेतु 2010-11 में की गई थी। सीएफआई को क्रेडिट किया गया उपकर बाद में लोक लेखे मे एनसीई निधि को अन्तरित किया जाता है। (शीर्ष 8235.129)			
4	वर्ष के दौरान एकत्रित तथा सीएफआई को क्रेडिट किया गया **चाय** पर उपकर, चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि को अन्तरित किया जाता है। (शीर्ष 8229.126)	57.38	0.00	57.38
5	**बीड़ी कर्मी कल्याण (बीडब्ल्यूडब्ल्यू)** निधि, बीड़ी स्थापना में लगे हुए लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित करने के उपायों के वित्तपोषण हेतु बीडब्ल्यूडब्ल्यू निधि अधिनियम 1976 के अन्तर्गत लोक लेखे में सृजित की गई थी। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने निर्मित बीड़ी पर उत्पादन शुल्क के रुप में उपकर शुरू किया। उपकर का संग्रहण शुरू में सीएफआई को क्रेडिट किया जाता है तथा बाद में लोक लेखे में बीडी कर्मी कल्याण निधि को विनियोजन के माध्यम से अन्तरित किया जाता है। (शीर्ष 8229.200-अन्य विकास तथा कल्याण निधि)	175.32	152.45	22.87
6	वर्ष के दौरान एकत्रित तथा सीएफआई को क्रेडिट किया गया **फीचर फिल्म** पर उपकर को लोक लेखे में सिने कर्मी कल्याण निधि को अन्तरित किया जाना था। (शीर्ष 8229.115)	3.84	1.73	2.11
	कुल	**37,386.88**	**29,264.16**	**8,122.72**

अनुबंध-4.1

(पैरा सं. 4.2 के संदर्भ में)

वि.व. 2014-15 के लिए व्यय प्रक्षेपण

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष		वि.व. 2014-15 के लिए प्रक्षेपण (एमटीईएफ में वि.व. 2013-14 के लिए विवरण)	2014-15 के लिए बीई	बीई मे प्रतिशतता परिवर्तन 2014-15 (कॉलम.2 के संबंध कॉलम.3)	वि.व. 2015-16 के लिए एमटीईएफ विवरण मे 2014-15 के लिए आरई	आरई मे प्रतिशतता परिवर्तन 2014-15 (कॉलम.2 के संबंध में कॉलम.5)
1		2	3	4	5	6
राजस्व व्यय						
वेतन		86,578	90,636	4.69	91,847	6.09
ब्याज		4,14,350	4,27,011	3.06	4,11,354	-0.72
पेंशन		77,799	81,983	5.38	81,705	5.02
सब्सिडी						
	उर्वरक	62,274	72,970	17.18	70,967	13.96
	खाद्य	1,20,000	1,15,000	-4.17	1,22,676	2.23
	पेट्रोलियम	35,000	63,427	81.22	60,270	72.20
राज्यों को अनुदान के लिए केंद्रीकृत प्रावधान		1,68,731	1,25,332	-25.72	1,21,121	-28.22
रक्षा		1,25,116	1,34,412	7.43	1,42,256	13.70
डाक घाटा		6,247	6,908	10.58	6,378	2.10
विदेश मामले		9,475	9,977	5.30	8,531	-9.96
गृह मामले		16,801	16,542	-1.54	15,602	-7.14
कर प्रशासन		12,922	2,988	-76.88	13,833	7.05
वित्त		16,360	22,277	36.17	24,793	51.55
शिक्षा		81,439	71,996	-11.60	59,472	-26.97
स्वास्थ्य		33,575	31,624	-5.81	25,228	-24.86
समाज कल्याण		37,600	35,347	-5.99	30,532	-18.80
कृषि एवं संबंद्ध		30,094	28,815	-4.25	24,334	-19.14
वाणिज्य एवं उद्योग		15,748	16,444	4.42	13,755	-12.66
शहरी विकास		3,016	15,172	403.05	7,586	151.53
ग्रामीण विकास		1,12,008	1,06,031	-5.34	86,145	-23.09
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास		1,979	2,134	7.83	1,640	-17.13
नियोजन एवं सांख्यिकी		7,379	6,164	-16.47	5,516	-25.25
वैज्ञानिक विभाग		10,402	10,096	-2.94	8,528	-18.02

ऊर्जा	12,268	11,197	-8.73	7,335	-40.21
परिवहन	16,300	17,765	8.99	17,562	7.74
आईटी एवं दूरसंचार	6,433	7,194	11.83	4,919	-23.53
यूटी	6,823	6,167	-9.61	5,655	-17.12
अन्य	22,913	32,504	41.86	19,241	-16.03
राजस्व व्यय	**15,49,629**	**15,68,111**	**1.19**	**14,88,780**	**-3.93**
पूंजीगत परिसंपति के निर्माण के लिए अनुदान	**2,33,345**	**1,68,104**	**-27.96**	**1,31,898**	**-43.48**
पूंजीगत व्यय					
रक्षा	94,547	94,588	0.04	83,161	-12.04
गृह मामले	9,870	10,159	2.93	5,859	-40.64
वित्त	23,649	16,130	-31.79	11,156	-52.83
स्वास्थ्य	3,318	2,068	-37.67	1,050	-68.35
वाणिज्य एवं उद्योग	2,370	1,233	-47.97	1,154	-51.31
शहरी विकास	8,373	9,767	16.65	7,547	-9.87
नियोजन एवं सांख्यिकी	989	797	-19.41	527	-46.71
वैज्ञानिक विभाग	4,365	3,898	-10.70	2,515	-42.38
ऊर्जा	7,561	7,124	-5.78	7,579	0.24
परिवहन	52,945	54,759	3.43	52,951	0.01
आईटी एवं दूरसंचार	2,832	3,993	41.00	915	-67.69
राज्यों को ऋण	11,880	12,000	1.01	11,900	0.17
यूटी	2,102	1,727	-17.84	1,484	-29.40
अन्य	6,661	8,539	28.19	4,580	-31.24
पूंजीगत व्यय	**2,31,462**	**2,26,781**	**-2.02**	**1,92,378**	**-16.89**
कुल व्यय	**17,81,091**	**17,94,892**	**0.77**	**16,81,158**	**-5.61**

अनुबंध-4.2

(पैरा सं. 4.2 के संदर्भ में)

वि.व. 2014-15 के लिए व्यय प्रक्षेपण की वास्तविक से तुलना

(₹ करोड़ में)

व्यय शीर्ष	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रक्षेपण (वित्त वर्ष 2013-14 हेतु एमटीईएफ विवरण में)	2014-15 के लिए एमटीईएफ विवरणी/बजट एक नजर में बीई	2014-15 के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण मे बीई	2015-16 के एमटीईएफ विवरण मे 2014-15 के लिए आरई	वास्तविक (संघ सरकार वित्त लेखे के अनुसार)	वास्तविक (बजट एक नजर में के अनुसार)	वास्तविक के विचलन की प्रतिशतता (कॉलम.2 के संबंध मे कॉलम.7)
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व व्यय	15,49,629	15,68,111	17,95,396	14,88,780	16,95,137	14,66,992	5.3
जिसका							
ब्याज	4,14,350	4,27,011	4,49,883	4,11,354	4,25,098	4,02,444	-2.9
पेंशन	77,799	81,983	82,983	81,705	93,611	93,611	20.3
रक्षा	1,25,116	1,34,412	1,39,651	1,42,256	1,45,146	1,36,807	9.3
डाक घाटा	6,247	6,908	7161.22	6,378	6,259*	6,121	-2.0
पूंजीगत व्यय	2,31,462	2,26,781	2,39,747	1,92,378	2,14,007	1,96,681	-15.0
जिसका							
रक्षा	94,547	94,588	94,588	83,161	81,887	81,887	-13.4

* ₹ 17,894.58 करोड़ के डाक व्यय तथा ₹ 11,635.98 करोड़ की प्राप्ति के बीच अंत

शब्दावली

वार्षिक वित्तीय विवरण	संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध मे उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय के विवरणों को संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाएगा, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण" माना जाता है। प्राप्ति तथा संवितरणों को तीन भागों के अंतर्गत दर्शाया जाता है जिनमें सरकारी लेखाओं को रखा जाता है अर्थात् (i) संचित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखा
बजट एक नजर में	यह दस्तावेज संक्षेप में, प्राप्तियों तथा संवितरणों के साथ-साथ कर राजस्वों के विस्तृत विवरण तथा योजना तथा गैर-योजना-व्यय को शामिल करते हुए अन्य प्राप्तियां के ब्यौरे, मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सेक्टरों द्वारा योजना परिव्यय का आवंटन तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्य और संघ शासित सरकारों को हस्तांतरित संसाधनों का विवरण दर्शाता है।
पूंजीगत व्यय	पूंजीगत प्रकृति के व्यय को विस्तृत रूप से ऐसे व्यय के रूप मे परिभाषित किया जाता है जो या तो वस्तु के मूर्त परिसंपति में वृद्धि करे एवं स्थायी प्रकृति का हो या आवर्ती देयताओं मे कमी करे।
पूंजीगत प्राप्ति	पूंजीगत प्राप्ति मे सरकार द्वारा लिए गए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार तथा विदेशी सरकारों/संस्थाओं से लिया गया ऋण शामिल है। यह सरकार द्वारा ऋण अग्रिमों की वसूली तथा सरकारी परिसंपत्तियों की बिक्री पीएसयू मे सरकारी अंश के विनिवेश से प्राप्ति को शामिल करता है।
भारत की संचित निधि (सीएफआई)	संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल के द्वारा उठाये गये सभी ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त धन संचित निधि का निर्माण "भारत की संचित निधि" शीर्षक से करेगा।

प्रभावी राजस्व घाटा	प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के मध्य का अंतर है। इसे सरकार के चालू व्यय (राजस्व लेखे पर) तथा राजस्व प्राप्ति मे से पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान को घटाकर जिसे राजस्व व्यय के रूप मे अभिलेखित किया जाता है, के अंतर के रूप मे व्याख्यापित किया जाता है।
बाहय ऋण	सरकार द्वारा, अधिकांशत विदेशी मुद्रा मे विदेशी सरकारों तथा विदेशी वित्तीय संस्थाओं से किए गए द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऋण समझौते।
वित्त लेखे	वित्त लेखे प्राप्ति के लेखे तथा संवितरणों के साथ वित्तीय परिणामों को प्रस्तुत करते हैं जो राजस्व तथा पूंजीगत लेखे, लोक ऋण लेखे तथा लेखे मे अभिलेखित शेषों से परिकलित देयताओं तथा परिसंपत्तियों द्वारा प्रकट होते हैं।
वित्त विधेयक	वित्त विधेयक एक धन विधेयक है जो संविधान के अनुच्छेद 110(1)(अ) के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने मे प्रस्तुत होता है, जो अगले वित्त वर्ष के लिए बजट मे प्रस्तावित करों को लगाने, समाप्त करने, छूट, परिवर्तन या विनियमन के विवरण से संबंधित होता है। एक बार वित्त विधेयक संसद के दोनो सदनो से पास हो जाता है तथा राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी जाती है, वित्त अधिनियम बन जाता है।
राजकोषीय घाटा	एक वित्तीय वर्ष के दौरान, निधि मे कुल प्राप्तियों पर ऋणों के पुनर्भुगतान को छोड़कर ऋण प्राप्तियों को छोड़कर भारत की संचित निधि से कुल संवितरणों का आधिक्य ।
राजकोषीय नीति	सरकार की राजकोषीय नीति सरकारी राजस्व को बढ़ाने, सरकारी व्यय करने, वित्तीय तथा संसाधन प्रबंधन उत्तरदायित्व कितना अच्छी तरह से संचालित हो रहा है, को सुनिश्चित करने से संबंधित है।

सकल घरेलु उत्पाद (जीडीपी)	सकल घरेलु उत्पाद, निश्चित अवधि मे देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्यतया वार्षिक आधार पर परिकलित मौद्रिक मूल्य है। यह सभी निजी तथा सरकारी उपयोग, सरकारी परिव्यय, निवेश तथा एक परिभाषित क्षेत्र मे निर्यात से आपात को घटाकर शामिल करता है।
गारंटियाँ	संविधान का अनुच्छेद 292 संघ की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार करता है कि वह ऐसी सीमाओं के अंदर भारत की संचित निधि के प्रतिभूति पर गांरटी दे, यदि कोई हो, जिसे संसद द्वारा निश्चित किया जा सकेगा।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण मे भारत मे लिए गए ऋण शामिल होते हैं। यह सीमित है कि लिए गए ऋण भारत की संचित निधि मे क्रेडिट होंगें।
ऋण एवं अग्रिम	इसमे संघ सरकार द्वारा राज्य तथा यू टी सरकारों, विदेशी सरकारों, लोक क्षेत्र उपकर्मों सरकारी सेवकों आदि को दिए गए ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।
लोक लेखा	संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अनुसार भारत सरकार अथवा उसकी और से प्राप्त सभी धन, उसको छोड़कर जिसे संचित निधि मे शामिल किया गया है, को लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। इन धनों के संबंध मे सरकार बैकर की तरह कार्य करती है।
लोक ऋण	सरकार द्वारा आंतरिक तथा बाहत स्त्रोतों से लिया गया ऋण जिसे भारत की संचित निधि मे गर्हण किया जाता है को लोक ऋण के रूप मे परिभाषित किया जाता है।
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति से राजस्व व्यय का आधिक्य।
राजस्व व्यय	अनुरक्षण, मरम्मत, देखभाल तथा संचालन खर्चों पर प्रभार, जो परिसंपत्तियों को चालू हालत मे बनाये रखने के लिए आवश्यक है तथा संगठन को चलाने के लिए दिन प्रति दिन के खर्चे भी स्थापना तथा प्रशासनिक व्ययों को शामिल करते हुए को राजस्व व्यय के रूप मे वर्गीकृत किया जाता है। राज्य/यूटी सरकार तथा अन्य संस्थाओं को

	दिए गए अनुदान राजस्व व्यय के रूप मे माने जाते हैं, भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के लिए हों।
राजस्व प्राप्तियां	इनमे सरकार द्वारा लगाए गए करों एवं चुंगियो, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश, सरकार द्वारा दी गई सेवाओं के लिए शुल्क तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।